**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 762**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय महिला आयोग में लंबित मामले**

†762. **श्री कप्तान सिंह सोलंकी** :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि महिलाओं के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्तमान

में 20 हजार मामले लंबित हैं ;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) : क्या सरकार ने आयोग के इस ढुलमुल रवैये पर किसी की जवाबदेही तय की है ; और

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) से (घ) : जी हाँ । आयोग ने सूचित किया है कि 2007 से दिनांक 8.8.2012 तक उनके पास 86,364 शिकायत के मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें 66,000 वे मामले भी शामिल हैं जिनमें समझौते की आवश्यकता है । अब तक लगभग 20,000 मामलों में कार्रवाई की गई है, जिनमें से 10,083 मामले आयोग द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं । आयोग पिछले बकाये मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान कर रहा है ।

आयोग में प्राप्त शिकायतों पर इस प्रकार कार्रवाई की जाती है :

(i) पुलिस उदासीनतापुलिस निष्क्रियता की शिकायत को मामले की समय पर एवं उचित जांच के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है । तदनुरूप राज्य सरकारों से प्राप्त की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की जांच की जाती है और मानीटर किया जाता है ।

(ii) गंभीर अपराधों के लिए, आयोग जांच समितियां गठित करता है, जो तत्काल जांच करती है, विभिन्न गवाहों की जांच करती है, सबूत एकत्रित करती है और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है । ऐसी जांच हिंसा और अत्याचार से पीड़ित को तुरन्त राहत और न्याय दिलाने में मदद करती है । आयोग संबंधित राज्य सरकारोंप्राधिकरणों के साथ मामला उठाकर जांच समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन का मॉनीटर करता है ।

(iii) पारिवारिक विवादवैवाहिक विवाद आदि को आपसी परामर्श द्वारा सुलझाया जाता है । व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को राष्ट्रीय महिला आयोग में बुलाया जाता है और उनके वैवाहिक गृह को बचाने के लिए परामर्श दिया जाता है ।

(iv) कुछ शिकायतों में विपक्षप्रतिवादी द्वारा शिकायत में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर शपथ पत्र में लिखित उत्तरविवरण मांगा जाता है ।

(v) महिलाओं से प्राप्त कुछ शिकायतों को विभिन्न राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति आयोग और उनके राज्य आयोगों को उनकी ओर से कार्रवाई किए जाने के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है । ये वे शिकायत हैं जो प्रत्यक्ष रूप से महिला अधिकारों के हनन से संबंधित नहीं है ।

(vi) न्नघरेलू हिंसावैवाहिक विवादों न्न से संबंधित कुछ शिकायतों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के उपबंधों की दृष्टि से उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया जाता है । बहुत सी शिकायतों में जिला माजिस्ट्रेट और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत न्न घरेलू हिंसा न्न से पीड़ित महिला को आवश्यक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया जाता है ।

 सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग में लम्बित मामलों का मॉनीटर करती है और लम्बित मामलों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग से मासिक रिपोर्ट मंगवाई जाती है ।

**\*\*\*\*\***